

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार परिषद् मुख्यालय भोपाल

—:: भाव पत्र आमंत्रण सूचना ::—

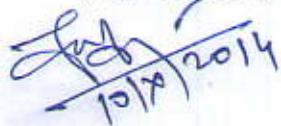
मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल के लिए मासिक एवं दैनिक किराए के आधार पर दिनांक 28/11/2014 तक अपरान्ह...3.00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप वाहन किराए पर लेने के लिए रजिस्टर्ड/ ख्याति प्राप्त ट्रेवल्स एजेंसी (जो शासकीय नियमानुसार सेवाकर डेतु पंजीकृत है) से मुहर बंद भावपत्र दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित किए जाते हैं। दिनांक 28/11/2014 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित ट्रेवल्स एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे।

निविदा की शर्तें :—

1. संबंधित एजेंसी को नियमानुसार सेवाकर (सर्विस टेक्स) का भुगतान करना होगा। अतः पंजीकृत फर्म/ संस्था ही इस कार्य हेतु आवेदन करें। जो सेवाकर का वैध पंजीयन रखते हों। सेवा कर की अंतिम अधतन रिट्टन निविदा आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
2. एजेंसी द्वारा क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन ही उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में वाहन के दस्तावेज परिषद् की क्य समिति को अनिवार्यता अवलोकन कराना होगा।
3. परिषद् द्वारा वाहन का मासिक किराया मध्य इधन के राशी का भुगतान किया जावेगा। वाहन का संधारण वाहन चालक का बेतन, वाहन मरम्मत दुर्घटना टूट फूट आदि समस्त व्यय ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा वहन किये जावेंगे। वाहन चालक को प्रदाय होने वाले अन्य समस्त भुगतान का वहन संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी को करना होगा।
4. संस्था ट्रेवल एजेंट के रूप में पंजीकृत हो।
5. प्रस्तावित वाहन उनके / कंपनी / फर्म के नाम से टैक्सी रूप में पंजीकृत हो। आयकर पेन नम्बर रखते हों। अधतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र निविदा आवेदन साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. एजेंसी के पास निर्धारित मेक के 1/12/2012 अथवा उसके बाद के पंजीकृत न्यूनतम दस वाहन होने आवश्यक है, जिसका प्रमाण भाव पत्र के साथ संलग्न करना आनिवार्य है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटा में ट्रेवल एजेंसी अथवा उसके संचालक के नाम से होने पर ही मान्य किया जावेगा। (रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न करें)
7. ट्रेवल एजेंसी को दरें प्रस्तुत करने के साथ रूपये 80,000/- (रुपए अस्सी हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल को देय होगा, सिक्युरिटी डिपॉजिट बतौर जमा

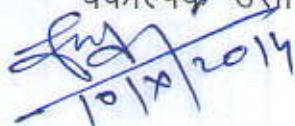
१५/११/१५

- परिषद्, मुख्यालय भोपाल को देय होगा, सिक्युरिटी डिपॉजिट बतौर जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसे एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें। इसके अभाव में ट्रेवल्स एजेंसी की तकनीकी निविदा अमान्य हो जायेगी।
8. किराए के वाहनों की संख्या परिषद् की आवश्यकतानुसार 10 अथवा उससे अधिक सप्ताह के सभी दिवसों में परिषद् को उपलब्ध कराना, ट्रेवल एजेंसी की बाध्यता होगी। जिसको पूरा न होना अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।
 9. स्वीकृत दरें सामान्यतः एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा। सेवाएं संतोषजनक होने की दशा में अनुबंध परिषद् द्वारा अधिकतम 6 माह या नवीन निविदा जो पहले हो बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध/ कार्य समाप्ति के एक माह बाद ही सुरक्षा निधि वापस की जायेगी।
 10. यह कि एक वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में, म. प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, को दो घंटे के अन्दर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। इससे अधिक समय लगने पर वाहन किराया उस दिन कि लिए देय नहीं होगा, साथ ही म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को अधिकार होगा कि वह अन्य वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई अतिरिक्त व्यय आता है तो वह ट्रेवल एजेंसी से वसूल किया जावेगा। वाहन को खराब होने के स्थान से लाये जाने का दायित्व ट्रेवल एजेंसी का होगा।
 11. न्यूनतम निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबंध न करने पर अगले (न्यूनतम दर से तत्काल ऊपर) निविदाकार से अनुबंध की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी।
 12. वाहन का माइलोमीटर सदैव वालू रहे। अपवाद स्वरूप यात्रा के दौरान माईलोमीटर खराब होने पर की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो कि मान्य करना होगा।
 13. वाहन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर मय वाहन चालक के उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
 14. ट्रेवल एजेंसी का डाक का पता एवं सम्पर्क व्यक्ति का नाम/ दूरभाष क्रमांक का एक पत्रक से संलग्न करना होगा।
 15. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जायी जायेंगी। ट्रेवल एजेंसी के ड्राईवर का यह कर्तव्य होगा कि म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के आदेशों का पालन करें।
 16. वाहन शासकीय कार्य संपादन हेतु म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की सुविधानुसार प्रभारी अधिकारी के निवास व कार्यालय में रखा जा सकेगा। तथा वाहन उपलब्ध कराना ट्रेवल एजेंसी का दायित्व होगा।



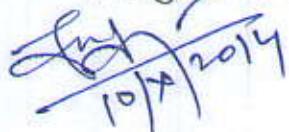
10/10/2014

17. वाहन के साथ वाहन के समस्त कागजात तथा मूल पंजीयन बीमा पॉलिसी, इत्यादि रखना अनिवार्य होगा।
18. यह कि ट्रेवल एजेंसी को ड्राईवर के पास बीमा रजिस्ट्रेशन एवं टैक्सी वाहन चलाने का लायसेंस आदि के कागजात वाहन में हमेशा साथ रखने होंगे। वाहन टैक्स पेड होगा तथा स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा वाहन इन्श्योर्ड रहेंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ट्रेवल एजेंसी पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व होगी तथा समस्त खर्च वहन करेगी।
19. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में हर समय अच्छी हालत में स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये टायर ट्यूब नये होने चाहिये तथा माइलोमीटर हमेशा चालू हालात में होना अनिवार्य है। जिसकी जिम्मेदारी ट्रेवल एजेंसी की होगी।
20. जिन निविदाकारों की दरें अस्वीकार की जावेंगी उनकी प्रतिभूति राशि आवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर मूलतः लौटाई जावेगी।
21. निविदा में दर्शित दरें अनुबंधित अवधि तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से बाजार दरों में परिवर्तन होने पर स्वीकृत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
22. वाहन को शहर की नगर निगम सीमा के बाहर जाने की दशा में शासन द्वारा स्वीकृत टोल टैक्स यदि कोई हो तो मात्र टोल टैक्स का भुगतान रसीद के आधार पर परिषद द्वारा किया जावेगा। इस हेतु ट्रेवल्स एजेंसी को वाहन के देयक के साथ रसीद को संलग्न कर परिषद में प्रस्तुत करना होगा। टोल टैक्स के अलावा अन्य व्यय ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा वहन किये जावेंगे, इनकी प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा नहीं की जावेगी।
23. परिषद का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्राप्त भावपत्र में से किसी भावपत्र को या समस्त भावपत्रों को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
24. नियत तिथि व समय के उपरांत प्राप्त भाव पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
25. वाहन चालक निविदा दाता का होगा। उसके पास कम से कम पाँच वर्ष का वैध ड्राईविंग लाइसेंस होगा। व समस्त आवश्यक बीमा एवं अन्य कागजात होंगे। वाहन के खराब अथवा अनुपलब्धता होने की स्थिति में वैकल्पिक उसी स्तर का वाहन उपलब्ध करने का दायित्व निविदादाता का


10/12/2014

होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि 1000/- प्रतिदिन के मान से काटी जायेगी।

26. अनुबंध निस्पादन के दिनांक से ही समस्त वाहनों का अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अन्यथा 1000/- प्रतिदिन प्रति वाहन के हिसाब से बयाने की राशि से काट लिये जायेगी।
27. वाहन के साथ लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा। लॉग बुक उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिदिन भरी जायेगी।
28. मासिक किराएदारी पर वाहन लिए जाने पर वाहन कार्यालय/अधिकारी/आवास में खड़ी करना होगी। यदि द्वितीय पक्ष अनुबंध अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी सूचना एक माह पूर्व देना होगी।
29. सर्विस टेक्स, पेन नम्बर, RTO में टेक्सी कोटा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। इसके प्रमाणक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
30. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार के विवाद में द्वितीय पक्ष का उत्तरदायित्व होगा।
31. वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपरिथिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू एवं धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित हैं। एवं वाहन चालक का पुलिस से सत्यापन करा कर प्रस्तुत करना होगा।
32. एजेंसी द्वारा बाहर जाने पर वाहन चालक को वाहन मरम्मत व सुधार कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
33. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों में 02 जोड़ी स्वच्छ सीट कक्षर, टॉबेल, परफ्यूम, रीडिंग लैंप, घड़ी, टार्च, चार्जर, बारिश के मौसम में छाता, सीट बैल्ट, एवं अग्निशमन यंत्र इत्यादि अनिवार्य रूप से रखी होना आवश्यक होगा। फर्स्ट- एड बॉक्स भी रखा जावे।
34. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन एवं वाहन चालक को बदलने से पूर्व प्रथम पक्षकार की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी, क्योंकि इससे शासकीय कार्य बाधित होते हैं। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की अनुमति उपरांत ही वाहन एवं वाहन चालक बदला जावेगा।



10/7/2014

35. संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) भी परिषद द्वारा किया जायेगा।
36. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।
37. तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग- 1 लिफाफा अं जिसमें अमानत राशि एवं तकनीकी निविदा में चाही गयी वांछित जानकारी, / प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग-2 को लिफाफा ब में रखें।
38. समस्त प्रकार के शासकीय करो आदि का कटौत्रा परिषद द्वारा किया जायेगा।
39. देयक से सर्विस टेक्स की राशि तभी भुगतान की जायेगी जबकि संबंधित संस्था उसको जमा करने का स्वप्रमाणित प्रमाण परिषद की वाहन शाखा में जमा करा दे।
40. समस्त प्रकार के परिवहन, सेवा कर, श्रम कानून, आयकर एवं अन्य प्रावधानों का पालन करने का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/संस्था को होगा।
41. वित्तीय निविदा में L1 (लोएस्ट फर्स्ट) आधार पर चयन होगा। L1 (लोएस्ट फर्स्ट) को “मासिक आधार पर,” मुख्यालय पर “प्रतिदिन के आधार” पर एवं “मुख्यालय के बाहर” के आधार पर पृथक-पृथक परीक्षित किया जायेगा। सुविधा की दृष्टि से मासिक आधार पर प्राप्त L1 (लोएस्ट फर्स्ट) पर चयनित फर्म की दरें यदि “मुख्यालय पर प्रतिदिन आधार” एवं “मुख्यालय से बाहर” के प्रकरणों में अधिक हैं, तो इसी L1 (लोएस्ट फर्स्ट) से उपर्युक्त मुख्यालय पर “प्रतिदिन आधार” एवं “मुख्यालय से बाहर” के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त अन्य न्यूनतम दरों के तारतम्य में निगोसिएशन किया जा कर यदि मासिक दर वाले L1 इस पर तैयार हैं तो सेवाएँ देने हेतु सहमति प्राप्त की जाकर अनुबंध किया जा सकेगा।


 संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
 म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
 मुख्यालय, भोपाल

(6)

लिफाफा 'अ' में रखे तकनीकी निविदा प्रपत्र-1

मनरेगा परिषद् भोपाल में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए(तकनीकी निविदा)
निविदा कार से संबंधित जानकारियों की शर्तें

1. निविदाकार का नाम :.....
2. कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक :.....
3. निवास का पूरा पता एवं दूरभाष :.....
4. ई-मेल एवं मोबाइल नं. :.....
5. यदि निविदा फर्म/संस्था की ओर से है फर्म/संस्था के मालिक/संचालक का नाम एवं पूर्ण पता :.....
6. क्या निविदा कार को किसी शासकीय/विभाग संस्था द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए अयोग्य ठहराया गया है?
ब्लैक लिस्टेड किया गया है?
यदि हाँ। तो पूर्ण विवरण लिखें :.....
7. क्या निविदाकार को किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है
यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें :.....
8. शासकीय कार्यालयों में वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का अनुभव विवरण दें। :.....

10/07/14

क्र.	कार्यालय का नाम	अवधि

(2)

9. निविदाकार का सेवा कर खाते का विवरण (रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
वर्ष 2013–2014)

कार्यालय का नाम	खाता क्र.

10. निविदि के स्वामित्व में उपलब्ध वाहनों का विवरण एवं टर्न ओवर
अ. वाहन का विवरण (वाहन का टैक्सी परमिट होना चाहिए, स्वयं के स्वामित्व में 10 वाहन होना चाहिए तथा जिनका अभिलेख/परमिट/टैक्स का भुगतान अधतन होना चाहिए।)

क्र.	वाहनों का प्रकार	मेक माडल	संख्या	पंजीयन दिनांक	सीट संख्या
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

ब. टर्न ओवर

निविदाकार का विगत तीन वर्षों 2011–12, 2012–13, एवं 2013–14 का प्रत्येक वर्ष का पृथक—पृथक टर्न ओवर 15 लाख सालाना होना चाहिए। सी.ए. द्वारा तीनों सत्यापित टर्न ओवर संलग्न करना है।

क्र.	वर्ष	टने ओवर

11. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण संलग्न करें।

12. आयकर पेन नं. विगत 03 वर्ष(2011–12, 2012–13, एवं 2013–14) की पृथक—पृथक आयकर विवरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

10/11/14

13. सुरक्षा राशि का विवरण:- बैंक ड्राफ्ट /
 बैंकर्स चैक क्रमांक
 अदाता बैंक का नाम दिनांक राशि

14. फार्म की कीमत रु. 500/- जमा कराने का डी.डी./नगद जमा की रसीद का प्रमाण प्रस्तुत करना ही होगा

हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पिता / पति एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करती हूं कि ऊपर क्रमांक 1 से 14 तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी तथ्य को मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैंने निविदा की सरल क्र. से तक सभी शर्तें पढ़ ली हैं तथा ये शर्तें मुझे मान्य हैं। समस्त शासकीय नियमों के पालन हेतु कानूनी रूप से मैं जिम्मेदार हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम:—

दूरभाष:—

मो.क्र.

फर्म की सील

9

लिफाफा(ब)
वित्तीय निविदा

वाहन का प्रकार(वाहन निर्धारित मेक मॉडल 01.12. 2012 अथवा उसके बाद का होना चाहिए)	निविदा भरने की दिनांक को X शौ रुम प्राईज संबंधित कंपनी की गाड़ी का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक होगा।	मुख्यालय पर मासिक आधार पर	मुख्यालय पर प्रति दिन के आधार पर (निर्धारित सीमा के पश्चात)	मुख्यालय के बाहर	मुख्यालय पर प्रतिदिन के आधार पर दर
		1000 कि.मी. तक वाहन चालन पर फिक्सड चार्जस	दर प्रति कि.मी.	दर प्रति कि.मी. (*1)	
		रु.	रु.	रु.	रु.
स्कार्पियो					
इनोवा					
टाटा इंडिका					
मारुति एसएक्स4					

(*1) मुख्यालय के बाहर जाने पर प्रति किलो मीटर की दर से भुगतान किया जायेगा।

- नोट:-
1. मुख्यालय का तात्पर्य भोपाल शहर की नगर निगम सीमा है।
 2. उपर्युक्त दरों के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। मुख्यालय से बाहर जाने में मात्र टोल टेक्स की रसीदें प्रस्तुत करने पर एजेन्सी को परिषद् द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।
 3. उपर्युक्त अंकित की जाने वाली दरें समस्त प्रभारों/व्यय/POL सहित होनी चाहिए।

हस्ताक्षर
संस्था का नाम
संस्था का सील